Case No :- 28/2021
UCMS NO :- 2021/105

13/7/21 पत्रावली आज पेश हुई।

अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत लो. सू. अ. (तहसीलदार) रायपुर के विरुद्ध पेश की गई थी। तहसीलदार रायपुर ने जरिये पत्रांक /सू.अ./2021/46 दिनांक 9/4/21 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलांट को जरिये पत्रांक /सू.अ./2021/32 दिनांक 10/3/21 के सूचना उपलब्ध करवा दि गई हैं व सूचना के अधिकार के तहत सूचना संकलित कर दिये जाने का प्रावधान नहीं हैं इस सम्बन्ध में इस न्यायालय के पत्रांक 906 दिनांक 18/6/21 के के जरिये भी अपीलांट को अवगत कराया कि लो. सू. अ. (तहसीलदार) रायपुर के समक्ष सूचना से सम्बन्धित विशिष्टियों का अंकन कर सूचना प्राप्त करे। अतः हस्तगत प्रकरण में इस स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।
पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर, बाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:37:47 IST
Reason: SelfAttested